न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

अधिग्रहण वाद संख्या–95/2011–12 राज्य वनाम ललन यादव वगैरह

आदेश

प्रस्तुत अधिग्रहण वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के पत्रांक 550 सपत्र गो0 दिनांक–29.04.2011 से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रारंभ किया गया था।

आरोप था कि दिनांक– 20.04.2011 को भारतीय खाद्य निगम डीपो, सहरसा से राज्य खाद्य निगम नौहट्टा के लिए बी0पी0एल0 योजना का चावल वनगॉव–सुपौल मुख्य पथ पर वसुदेवा चौक के पास कालाबाजारी करते हुए जप्त किया गया था।

इस कार्यालय पत्रांक 45–2 सपत्र दिनांक– 14.5.2011 द्वारा ललन यादव, बीरवल यादव, मो० अनवर एवं दीनबंधु प्रसाद गुप्ता के नाम मोर्जित नोटिस तामिला हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा को भेजा गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा प्रोसेस सर्भर के माध्यम से दीनबन्धु प्रसाद गुप्तो पर नोटिस का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन वापस किया गया। बाद में स्मारित करने पर ललन यादव, बीरवल यादव एवं मो0 अनवर पर नोटिस का तामिला अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त हुआ।

प्रतिपक्षियों में मात्र दीनबन्धु गुप्ता ने कारण पृच्छा समर्पित कर कहा है कि दिनांक– 20.4.2011 को पंचायत चुनाव रहने के कारण सभी वाहन सरकार द्वारा जप्त कर लिया गया था और मुझे गॉव जाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में बी0पी0एल0 चावल से लदे ट्रक पर बीरवल यादव के साथ बैठ गये थे। उन्हें उक्त चावल से कोई लेदा–देना नहीं है।

जप्त खाद्यान्न पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, कहरा द्वारा बनगॉव थाना में काण्ड संख्या–20/2011 दिनांक– 25.4.2011 दर्ज कराया गया है और जप्त खाद्यान्न के खराब होने की आशंका बढ़ गयी है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

लम्बे अन्तरालत व्यतीत हो जाने पर भी अन्य प्रतिपक्षियों की ओर से न तो कोई कारण–पृच्छा दाखिल किया गया और न ही कभी न्यायालय में उपस्थिति दी गयी।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा से प्राप्त अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए जप्त खाद्यान्न को अधिग्रहित किया जाता है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि जप्त/अधिग्रहित चावल जन वितरण प्रणाली दूकान के माध्यम से ए०पी०एल० दर पर विक्री करवाकर राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा करवाना सुनिश्चित करें। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता, ,
सहरसा।

10/7/14

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1423-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 15 वीं जुलाई, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/7/14

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

14-7-14